

खूँटी जलापूर्ति योजना के लिए संक्षिप्त पुर्नस्थापन कार्य योजना (ARAP)

ड्रॉफ्ट



झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको लि0)

झारखण्ड मयुनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जेएमडीपी)

दिसम्बर, 2017

## **खूँटी जलापूर्ति योजना के लिए संक्षिप्त पुर्नस्थापन कार्य योजना (ARAP)**

1. परिचय:-झारखण्ड मयुनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत खूँटी नगर पंचायत हेतु प्रस्तावित खूँटी जलापूर्ति योजना के लिए संक्षिप्त पुर्नस्थापन कार्य योजना (ARAP)
  - 1.1 संक्षिप्त पुर्नस्थापन कार्य योजना (ARAP) का प्रयोजना
2. परियोजना का प्रभाव
  - 2.1 सकारात्मक प्रभाव
  - 2.2 नकारात्मक प्रभाव
3. परियोजना प्रभावित नागरिकों की जनगणना एवं वर्णन
  - 3.1 आजीविका का स्थायी नुकसान और संरचनाओं पर प्रभाव
  - 3.2 प्रभावित परिवारों के जीवन-यापन का अस्थायी नुकसान और उसका प्रभाव
4. अधिकार एवं पुर्नस्थापन सहायता
  - 4.1 प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और आय की पूर्ववत स्थिति
  - 4.2 पात्रता के लिए परिभाषाएं
5. सार्वजनिक परामर्ष एवं प्रकटीकरण/प्रकाशन
  - 5.1 सूचनाओं का प्रकटीकरण/प्रकाशन
6. शिकायत निपटारा तंत्र
7. पुर्नस्थापन प्रभाव को संबोधित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं
8. निगरानी एवं सूचना प्रणाली व्यवस्था
9. कार्यान्वयन सूची
10. पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन बजट

परिषिष्ट 1: परियोजना प्रभावित लोगों की सूची

### **सारणी-सूची:-**

सारणी 1: सामाजिक प्रभावों के आधार पर ईएसएमएफ के अनुसार उप-परियोजनाओं का वर्गीकरण

सारणी 2: भूमि और पुर्नस्थापन प्रभावों का सारांश

सारणी 3: प्रभावित फुटपाथ विक्रेताओं का विवरण

सारणी 4: श्रेणी-वार प्रभाव और पुर्नस्थापन उपाय

सारणी 5: पात्रता मैट्रिक्स (आव्यूह)

सारणी 6: समुदाय परामर्ष के निष्कर्ष



सारणी 7: सूचनाएं जिनको अनावृत करना है, उनकी आवृत्ति और स्थान

सारणी 8: संक्षिप्त पुर्नस्थापन कार्य योजना (ARAP) की क्रियान्वयन अनुसूची

सारणी 9: खूँटी जलापूर्ति परियोजना के लिए मुआवजा और सहायता

झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JM DP) के तहत प्रस्तावित खूँटी जलापूर्ति योजना के लिए संक्षिप्त पुर्नस्थापन कार्य योजना (ARAP)

1. परिचय:-

1. नगर विकास एवं आवास विभाग (न0 वि0 एवं आ0 वि0), झारखंड सरकार ने षहरी सेवा का निष्पादन और षहरी प्रबंधन क्षमता को चयनित षहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सुधारने के उद्देश्य से झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JM DP) तैयार किया है। जेएमडीपी झारखण्ड के जिलों में कई उप-परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन पर जोर देता है। झारखण्ड सरकार ने झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको लि0) को जेएमडीपी को निष्पादित करने के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर निर्धारित किया है। झारखण्ड सरकार ने जेएमडीपी की लागत के लिए विष्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग की है।
2. जुडको ने जेएमडीपी के लिए एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन रूपरेखा (ईएसएमएफ) और पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) तैयार किया है जिनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-
  - क) कार्यान्वयन एवं परियोजना चक्र के दौरान आने वाले संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन करना ।
  - ख) निवेश की सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना ।
  - ग) राष्ट्रीय तथा राज्य पर्यावरणीय एवं सामाजिक कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना ।
3. खूँटी नगर पंचायत के अंतर्गत खूँटी जलापूर्ति योजना, जेएमडीपी के तहत कार्यान्वित होने वाली उप-परियोजनाओं में से एक है, और यह दस्तावेज ईएसआईए के साथ निरंतरता में तैयार किया गया है।
4. इस परियोजना में मौजूदा इन्टेक वेल ही पानी के स्रोत के रूप में काम करेगी। मौजूदा 300 मि0मी0 पाइप को 500 मि0मी0 पाइप से बदलने से इन्टेक वेल की क्षमता बढ़ जाएगी। एक नई 16 एमएलडी क्षमता की प्रस्तावित जल-उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) विकसित की जाएगी और इसे 4 एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर (ईएसआर) (3 नई और 1 मौजूदा) से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, इस परियोजना के तहत 122.003 किमी नई वितरण पाइपलाइन बिछायी जाएगी जो कि 100 प्रतिशत मीटर वाले कनेक्शन की आपूर्ति के लिए होगी।



#### 1.1 संक्षिप्त पुर्नस्थापन कार्य योजना (ARAP) की आवश्यकता:-

5. संभावित प्रभावों का आकलन करने और प्रभावों से बचने या कम करने के तरीके का पता लगाने के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) तैयार किया गया है। परियोजना के लिए कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तीन इएसआर और इन्टेक वेल के लिए भूमि पहले से ही कब्जे में है। करीब 1650 मीटर की पाइपलाइन का उन्नयन किया जाएगा और 130.758 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी; नवनिर्धारित पाइप आरओडब्लू के भीतर होगा और भूमि के प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। इस परियोजना में सड़क के रास्ते में दो गैर-रैयती धारकों के दो ढांचों का नुकसान शामिल है। सड़क के आरओडब्लू में पाइप बिछाने के समय भी 35 सड़क विक्रेताओं को अस्थायी रूप से आय का नुकसान होने की संभावना है। इएसएमएफ वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार, खूँटी जल आपूर्ति परियोजना को एस-2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह एआरएपी देश के कानूनों की आवश्यकता और अनौपचारिक पुर्नस्थापन पर विष्व बैंक के संचालन नीति 4.12 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
6. यद्यपि अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है, raw water main के निर्माण में मुख्य रूप से वन क्षेत्र और एक निजी भू-खंड के भीतर काम करना शामिल होगा। भू-स्वामी ने उसी के लिए सहमति दी है जिसके लिए आवश्यक औपचारिक समझौता प्रक्रिया में है। 300 मिमी की मौजूदा raw water main की पाइपलाइन को 500 मिमी पाइपलाइन द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होगी। 233 मीटर की पाइप लाइन वर्तमान संरक्षण वन भूमि पर स्थित है (जिसके लिए 0.02 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा), एक अनुसूचित V क्षेत्र भी है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के तहत मंडल वन अधिकारी खूँटी द्वारा एक मंजूरी प्रदान की गई है। चूँकि यह सरकार द्वारा कानूनी रूप से नामित संरक्षित वन है, इएसएमपी मंजूरी में दी गई सभी सिफारिशों का पालन करेगी, वनों का कोई भी पेड़ नहीं कटेगा और इसकी सहमति ग्राम सभा में लागू अधिनियम के तहत मंजूरी प्रक्रिया के अनुसार लिया गया है। एक अनुसूचित जनजाति भागीदारी योजना (एसटीपीपी) भी तैयार की गई है ताकि सभी उप-परियोजना चक्र में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके जो स्थानीय लोगों पर विष्व बैंक की नति 4.10 एवं ओ0 पी0 4.36 की आवश्यकता को पूरा कर सके। इएसएमपी संवेदनशील क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने/परेषान करने और किसी भी प्रभाव से बचने के लिए सभी एहतियाती उपायों को भी निर्दिष्ट करता है।

सारणी 1: सामाजिक प्रभावों के आधार पर ईएसएमएफ के अनुसार उप-परियोजनाओं का वर्गीकरण			
एस-1	महत्वपूर्ण नकारात्मक अपरिवर्तनीय सामाजिक प्रभावों के साथ	<ul style="list-style-type: none"> <li>अगर इसमें निजी भूमि अधिग्रहण शामिल है और यह 200 से अधिक व्यक्तियों या 50 घरों को प्रभावित करता है।</li> <li>यदि इसमें भौतिक विस्थापन शामिल है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>व्यापक पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन और डिजाइन परामर्शी से स्वतंत्र एक एजेंसी के माध्यम से एक पुर्नवास कार्य योजना (आरएपी) निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा।</li> <li>डिजाइन समीक्षा निर्मित अनुबंध के मामले में पुर्नवास की योजना (आरएपी) निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा।</li> </ul>
एस-2	मध्यम - कम से कम सामाजिक प्रभावों के साथ	<ul style="list-style-type: none"> <li>यदि प्रभाव एक मामूली प्रकृति का है या 200 व्यक्तियों या लगभग 50 घरों से कम प्रभावित होते हैं।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन के आधार पर संक्षिप्त पुर्नस्थापन कार्य योजना (एआरएपी) तैयार करना।</li> <li>डिजाइन समीक्षा निर्मित अनुबंध के मामले में संक्षिप्त पुर्नस्थापन कार्य योजना (एआरएपी) निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा।</li> </ul>
एस-3	न्यून - अस्थायी प्रभावों या अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रभावों के साथ	<ul style="list-style-type: none"> <li>आजीविका से संबंधित गतिविधियों में अस्थायी व्यवधान जो निर्माण और निर्माण से जुड़े अन्य सामाजिक प्रभावों के बाद फिर से शुरू हो सकते हैं।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एक अलग ईएसएमपी तैयार किये जायेंगे जो निर्माण एवं संचालन चरण के दौरान निविदा दस्तावेजों का हिस्सा होगा।</li> </ul>



## 2. परियोजना का प्रभाव

7. परियोजना के प्रभाव निम्नलिखित उपवर्गों में सूचीबद्ध हैं—

### 2.1 सकारात्मक प्रभाव:—

8. जनगणना पर सकारात्मक प्रभाव को निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया गया है—

- खूँटी नगर पंचायत के लिए समग्र जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार।
- पानी से उत्पन्न बीमारियों की घटनाओं और बाल मृत्यु दर में कमी।
- महिलाओं को समय की बचत।
- स्वास्थ्य, जीवन स्तर एवं व्यक्तिगत स्तर पर साफ-सफाई में सुधार।
- स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की वजह से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (रेस्तरों), अस्पतालों, व्यवसाय आदि द्वारा बेहतर सेवाएं मुहैया करने में सुधार।

### 2.2 नकारात्मक प्रभाव:—

9. पाइप बिछाने के लिए संरक्षण विकल्प का पता लगाया गया जिसके कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- इस परियोजना से केवल दो गैर-रैयती धारकों की संरचना प्रभावित होगी।
- वास्तविक निर्माण प्रक्रिया के दौरान लगभग 20 दिनों के लिए 35 विक्रेताओं की आजीविका का अस्थायी नुकसान होगा।
- केवल एक अनुसूचित जनजाति का परिवार प्रभावित होगा।
- निर्माण कार्यों के दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं और आसपास के समुदायों के लिए असुविधा।

### सारणी 2: भूमि और पुर्नस्थापन प्रभावों का सारांश

क्र० सं०	प्रभाव	संख्या
1	कुल भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में)	0
2	कुल व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में)	0
3	कुल सरकारी भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में)	0
4	प्रभावित भूमि/भू-खण्ड की कुल संख्या	0
5	प्रभावित व्यक्तिगत भूमि/भू-खण्ड की कुल संख्या	0
6	रैयतों की व्यक्तिगत आवासीय संरचनाओं की संख्या	0
7	रैयतों की व्यक्तिगत व्यावसायिक संरचनाओं की संख्या	0
8	Row के अन्दर प्रभावित गैर-रैयत धारकों की व्यक्तिगत संरचनाओं की संख्या	2
9	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	2
10	प्रभावित कमजोर परिवारों की कुल संख्या	1
11	अस्थायी रूप से प्रभावित चल-विक्रेताओं की कुल संख्या	35
12	CPR प्रभावितों की संख्या (समुदायिक एवं धार्मिक)	0

### 3. परियोजना प्रभावित नागरिकों की जनगणना एवं वर्णन:-

10. वर्तमान एआरएपी को तैयार करने के लिए संभावित विस्थापित व्यक्तियों की पहचान हेतु एक परियोजना विशेष जनगणना सर्वेक्षण किया गया था और डीपीआर संस्करण-19 दिनांक 19.09.2017 के अनुसार गलियारे के प्रभाव के भीतर उनकी प्रभावित संपत्ति की एक सूची एकत्र की गई। जनगणना सर्वेक्षण के समय प्रभावित संरचनाओं की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई थी। जनगणना सर्वेक्षण का निष्कर्ष संक्षिप्त पुनर्स्थापन कार्य योजना (ARAP) का प्रारूप तैयार करने का आधार है।

11. योग्य पीएपी के लिए निर्दिष्ट तारीख जनगणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत की तारीख अर्थात् दिनांक 24 फरवरी 2017 होगी। सड़क विक्रेताओं जिनकी कोई संरचना नहीं है, पर पड़ने वाले अस्थायी प्रभावों के लिए, निर्माण शुरू करने से पहले संवेदक और पीआईयू प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान पात्रता को अंतिम रूप दिया जाएगा; गैर सरकारी संगठन इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए योग्य परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का सूक्ष्म योजना तैयार करेगा।

12. आजीविका और संरचनाओं के नुकसान से उत्पन्न होने वाले नुकसान को कम करने और संक्षिप्त पुनर्स्थापन कार्य योजना (ARAP) में पर्याप्त बजटीय प्रावधानों को मजबूती देने में पात्रता की गणना करने के लिए जनगणना सर्वेक्षण बेहद प्रासंगिक था।

#### 3.1 आजीविका का स्थायी नुकसान और संरचनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव।

13. पाइप लाइन बिछाने के कारण दो परिवारों (9 पीएपी) की 2 संरचनाएं प्रभावित हो सकती हैं, इन 2 संरचनाओं में एक संरचना अस्थायी है और एक अन्य संरचना अर्द्ध-स्थायी है। अस्थायी संरचना निवास-सह दुकान के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जा रही है और अर्द्ध-स्थायी संरचना का उपयोग दुकान के उद्देश्य से किया जा रहा है और उनकी मासिक आय 6000-7500 रु० है। इन दो परिवारों में से एक परिवार कमजोर वर्ग के अंतर्गत आता है क्योंकि यह परिवार अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। इन परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी एवं आर्थिक रूप से विस्थापित हो जाएगी।

#### 3.2 प्रभावित परिवारों के जीवन-यापन का अस्थायी नुकसान और उसका प्रभाव।

14. 35 फुटपाथ विक्रेताओं की आय पर अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ेगा जो वर्तमान में सड़कों या गलियों में अपना व्यवसाय करते हैं जहां मौजूदा पानी की पाइप लाइन को बदला जाएगा या नये स्थापित किया जायेंगे। ये विक्रेता अपने उत्पादों को स्थानीय निवासियों और यात्रीयों को गाड़ी/टोकरी/कपड़ा आदि पर वस्तुओं को फैला कर बेचते हैं। निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर उसके अंत तक आवश्यक दिनों की संख्या के आधार पर अस्थायी प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है (डीपीआर के मुताबिक) कि यह 20 दिनों का होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विक्रेता अपने वर्तमान स्थान से ही विक्रय गतिविधियों को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं।



**सारणी 3: प्रभावित फुटपाथ विक्रेताओं का विवरण**



वेंडिंग के प्रकार	संख्या	वार्षिक आय (रूपये में)
खाद्य वस्तुएं	5	42,794.22
सब्जियां	7	48,203.45
फल	4	46,439.57
कड़ाही	4	56025.97
चाय	2	46051.71
किराना/छोटी वस्तुएं	5	58619.35
नाई	1	51068.75
नारियल पानी	1	39666.67
फूल	2	48190.91
मोची	1	53769.23
अन्य लोग	3	57276.96
कुल/औसत	35	46342.74

**4. अधिकार एवं पुर्नस्थापन सहायता:**

15. परियोजना के लिए पात्रता मैट्रिक्स (आव्यूह) के आधार पर श्रेणी-वार प्रभाव और उपषमन उपायों का विवरण नीचे दिया गया है।

**सारणी 4: श्रेणी-वार प्रभाव और पुर्नस्थापन उपाय**

क्र० सं०	प्रभाव के प्रकार	सं०	पुर्नस्थापन उपाय
1	तू के अन्दर प्रभावित गैर-रैयती धारकों की व्यक्तिगत संरचनाओं की संख्या	2	बाजार मूल्य के अनुसार बिना मुल्यहास किये ढांचों के लिए सहायता, निर्वाह भत्ता, स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय सहायता और उनकी आजीविका गतिविधियों को उनके द्वारा रैयती वाले स्थानों या आसपास पहचाने गए स्थानों से पुनर्प्रारम्भ करने के लिए सहायता ।
2	अस्थायी रूप से प्रभावित चल विक्रेताओं की कुल संख्या	35	निर्माण चरण के दौरान विग्रेता अस्थायी रूप से अपनी आय खो देंगे । इस अवधि के लिए पत्रता आव्यूह के अनुसार जबतक उनकी आजीविका गतिविधि प्रभावित होगी विक्रेताओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

16. परियोजना प्रभावित परिवार के एक वयस्क सदस्य के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास का प्रावधान है। परियोजना प्रभावित परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्य, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण (पीएमकेवाई) प्राप्त करेगा और इस योजना के तहत नियुक्ति का भी प्रावधान है। भविष्य की तैयारी के दौरान निम्नलिखित पर जोर दिया जाएगा:



- परियोजना क्षेत्र में चल रहे गैर भूमि आधारित प्रशिक्षण और कौशल विकास गतिविधियों की पहचान कर उनकी वर्तमान आय संबंधित गतिविधियों या एक नया कार्य प्रारंभ करने में सहायता करना ।
- एनजीओ/कार्यन्वयन परामर्शी के टीओआर में प्रारूप को परियोजना प्रभावित लोगों के साथ साझा किया जाएगा ताकि उनकी प्राथमिकताओं को लिया जायेगा एवं समीक्षाओं के आधार पर अंतिम IR योजनाओं पर अलग से परामर्श आयोजित की जाएगी एवं IR योजनाओं के प्रारूप को परियोजना प्रभावित लोगों के साथ साझा किया जाएगा ताकि उनकी प्राथमिकताओं को लिया जायेगा एवं समीक्षाओं के आधार पर अंतिम IR योजना विकसित की जाएगी ।

#### 4.2 पात्रता के लिए परिभाषाएं:-

जुडको के ईएसएमएफ के तहत संक्षिप्त पुनर्स्थापना कार्य करना (ARAP) के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

क) कृषि या बागवानी;

ख) कृषि भूमि : भूमि का इस्तेमाल इन प्रयोजन के लिए होता हो:

- (I) कृषि या बागवानी;
- (II) दूध उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, रेषम उत्पाद नए बीज की खेती, पशुओं का प्रजनन या नर्सरी में औषधीय जड़ी बूटियों का उत्पादन;
- (III) फसलों, पेड़ों, घास या बगीचे की पैदावार; और
- (IV) मवेशियों के चारागाह के इस्तेमाल की गई जमीन ।

ग) गरीबी रेखा के नीचे या BPL परिवार:- भारत की योजना आयोग (अब नीति आयोग के रूप में पुनर्गठित) के अनुसार परिभाषित एवं समय-समय पर BPL सूची में शामिल करना ।

घ) भवन:- गृह, उपगृह या अन्य छत वाले संरचना चाहे चिनाई, ईंट, लकड़ी, कीचड़, धातु या किसी भी अन्य सामग्री से निर्मित लेकिन तम्बू या अन्य पोर्टेबल और अस्थायी आश्रय शामिल नहीं है ।

ड.) प्रभाव का गलियारा:- बुनियादी ढांचे के निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की चौड़ाई और तटबंधों, सुविधाएँ जैसे पहुँचने का मार्ग, नालियाँ, उपयोगी नालियाँ और लाइने, बाड़, हरित भूमि, सुरक्षा क्षेत्र, काम करने की जगह आदि को निदृष्ट करता है ।

च) अंतिम तिथि:- भूमि अधिग्रहण को प्रभावित करने वाले मामलों में स्थानीय समाचार पत्र में आरएफसीटीएलआरआर अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की अंतिम तिथि होगी । किसी भी कानूनी अधिकार के बिना, अंतिम तिथि जनगणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत की तारीख होगी । अस्थायी प्रभावों के लिए अंतिम तारीख संवेदक एवं पीआईयू प्रतिनिधि द्वारा निर्माण की शुरुआत करने से पहले संयुक्त निरीक्षण की तारीख होगी ।

छ) अतिक्रमणकारी:- एक व्यक्ति जिसने अपनी इमारत, कृषि भूमि, व्यापार परिसर या कार्यस्थलों को किसी भी प्राधिकरण के बिना सार्वजनिक/सरकारी जमीन में बढ़ा दिया है



ज) आय:- आय का अर्थ, परियोजना प्रभावित लोगों की, अंतिम तिथि से पहले की सभी व्यवसायों से प्राप्त राशि है, जो कि सामाजिक आर्थिक/जनगणना सर्वेक्षण के माध्यम से लिया गया हो या यथार्थपरक मूल्यांकन के आधार पर गणना की गई हो या इसी तरह के व्यवसाय के द्वितीयक षोध के माध्यम से उपलब्ध है।

झ) भूमि:- भूमि में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, और धरती से जुड़ी चीजें या धरती से जुड़ी किसी भी चीज को स्थायी रूप से बांधने के लिए लाभ शामिल है।

ञ) परियोजना प्रभावित लोग: कोई भी व्यक्ति जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से परियोजना और/या परियोजना से संबंधित गतिविधि से प्रभावित होता है, जो कानूनी स्थिति पर विचार किये बिना इसमें शामिल हो सकेंगे, इस प्रकार है:

- (i) रैयती
- (ii) कब्जा करने वाले
- (iii) अनाधिकृत निवासी
- (iv) किरायेदार, पट्टेदार, षेयरधारक
- (v) कर्मचारीगण, भूमिहीन मजदूर

ट) परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएच): एक सामाजिक इकाई जिसमें एक परिवार और/या गैर-परिवार के सदस्यों को एक साथ मिलकर रहना होता है और जो इस परियोजना के कारण नकारात्मक और/या सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।

ठ) किराया: जो कुछ भी कानूनी रूप से नकद या सहजता से, आंशिक रूप से नकदी में और आंशिक रूप से सहजतापूर्वक, या उपज की एक निश्चित मात्रा के रूप में या उपज के एक हिस्से के रूप में, भूमि के उपयोग या व्यवसाय के कारण या भूमि में किसी तरह का कोई अधिकार के कारण देय है (जो कानूनी नहीं हो सकता है), लेकिन भू-राजस्व को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

ड) प्रतिस्थापन लागत: किसी भी जमीन या अन्य परिसंपत्ति का एक प्रतिस्थापन लागत/मूल्य लागत या प्रभावित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले समान भूमि या अन्य संपत्ति और अन्य लागू करों को बदलने/खरीदने के लिए पर्याप्त है; नए आरटीएफसीएलआरआर अधिनियम 2013 के अनुसार, अतिरिक्त सोलिटियम के साथ सभी मुआवजे की गणना प्रतिस्थापन लागत या प्रभावित परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य से अधिक है।

ढ) दुकान:- कोई भी परिसर जहां किसी भी तरह का लेन-देन या व्यापार किया जाता है और जहां ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान किया जाता है।

ण) अवैध निवासी: एक व्यक्ति जिसने सार्वजनिक/सरकारी भूमि, संस्थानों, ट्रस्ट आदि से जुड़ी भूमि या किसी और की भूमि अवैध रूप से आवासीय, व्यापार और अन्य उद्देश्यों के लिए और/या प्राधिकरण के बिना भूमि और भवन/परिसंपत्ति पर कब्जा कर लिया है।



त) पंजीकृत विक्रेताएं: स्टैंड वेंडर्स एक्ट 2013 के तहत वेंडिंग लाइसेंस जारी करने के लिए सर्वेक्षण और पंजीकृत सभी विक्रेताएं।

थ) अस्थायी प्रभाव: परियोजना के निर्माण चरण के दौरान धरती के अव्यवस्थित होने, भूकंप एवं कंपन आदि से पड़ने वाले प्रभाव के कारण आय का नुकसान और आय में बाधा।

द) किरायेदार: एक व्यक्ति जो भूमि/किसी अन्य व्यक्ति का ढांचा रखता है और (लेकिन एक विशेष अनुबंध के लिए) उस जमीन/ संरचना के लिए किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस व्यवस्था में किरायेदार के उत्तराधिकारी शामिल हैं लेकिन इसमें किसी जमींदार या किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकारों के बंधक को शामिल नहीं किया गया है जिसके पास अधिकार स्थानांतरित किया गया है; या भूमि अधिग्रहण के बकाए की वसूली के लिए एक संपत्ति/अधिकार खेत में दिया गया है; या ऐसी बकाया राशि के रूप में वसूली योग्य राशि या एक व्यक्ति जो सरकार से बेची जाने वाली भूमि के पट्टे पर ले जाती है, उसे उप-मूल्यन करने के उद्देश्य से।

ध) कमजोर परिवार: कमजोर पीएपी: गरीबी रेखा नीचे रहने वाले, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों, महिलाओं के घर वाले परिवारों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संवेदनशील पीएपी; 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति।

न) मजदूरी करने वाले: मजदूरी करने वाले जिनकी आजीविका नियोक्ता के विस्थापन के कारण प्रभावित होगी। व्यक्ति नियोक्ता द्वारा अंतिम तिथि से कम से कम छह महीने पहले निरंतर रोजगार में होना चाहिए और अपने रोजगार को साबित करने के लिए उसके पास विष्वसनीय दस्तावेजी सबूत होना चाहिए।

#### सारणी 5 : एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स (पात्रता आव्यूह)

नॉन टाइटल होल्डर (गैर-रैयती)	आवासीय संरचना का नुकसान	<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रभावित संरचना का गिराने के लिए एक महीने का अग्रिम नोटिस</li> <li>● अधिकतम             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. आवासीय संरचना की प्रतिस्थापन लागत, या</li> <li>ii. पीएमएवाई/आईएवाई के तहत बेघर पीएएच के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार न्यूनतम क्षेत्र के साथ वैकल्पिक घर।</li> <li>iii. पीएमएवाई/आईएवाई(राज्य मानदंड के अनुसार) के समतुल्य वित्तीय सहायता जो सभी को स्थानांतरित करना है और अंतिम तारीख तक घर नहीं है।</li> </ol> </li> <li>● अर्द्ध-कुशल श्रमिक के लिए</li> </ul>	आवासीय संरचनाओं और अन्य अचल संपत्तियों का मूल्य तीसरे पक्ष से, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी या चार्टर्ड इंजीनियर होगा निर्धारित किया जाएगा। पुर्नवास पैकेज विकल्प चुनने के लिए पीएपी के साथ परामर्श किया जाएगा। विस्थापन से पहले प्रावधान के अनुसार पुर्नवास सहायता प्रदान की जाएगी।
------------------------------	-------------------------	--	--

		<p>प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार एक महीने का निर्वाह भत्ता</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>परिवार, सामान और मवेषियों के स्थानांतरण के लिए परिवहन लागत के रूप में 5000 रु० की एक बार की वित्तीय सहायता।</li> </ul>	
	<p>व्यावसायिक संरचना और विक्रेताओं/कियोस्क की हानि</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रभावित संरचना को गिराने के लिए एक महीने का अग्रिम नोटिस</li> <li>प्रभावित वाणिज्यिक संरचना के लिए बाजार मूल्य पर मुआवजा, या</li> <li>पंजीकृत विक्रेताओं के लिए: यूएलबी के परामर्श से, पीएपी को वेंडिंग जोर में पुर्नस्थापित किया जा सकता है।</li> <li>सड़क विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुसार पंजीकृत विक्रेता को वेंडिंग जोन प्रदान किया जाना है। यदि यह संभव नहीं है तो संबंधित यूएलबी की वेंडिंग कमेटी द्वारा एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।</li> <li>एक बार वित्तीय सहायता स्थानांतरण के लिए परिवहन लागत के रूप में 5000 रु०</li> <li>अर्द्ध-कुशल श्रमिक के लिए प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार एक महीने का निर्वाह भत्ता।</li> <li>प्रभावित सामग्री को क्षति से बचाने का अधिकार।</li> </ul>	<p>वाणिज्यिक संरचना और अन्य अचल संपत्तियों के मूल्य का निर्धारण किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन एजेंसी या एक सरकार अनुमोदित चार्टर्ड इंजीनियर होगा।</p>
<p>नॉन-टाइटल होल्डर (अतिक्रमणकारी)</p>	<p>आवासीय सह व्यावसायिक ढांचों की हानि</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रभावित संरचना को गिराने के लिए एक महीने का अग्रिम नोटिस</li> <li>प्रभावित आवासीय/वाणिज्यिक</li> </ul>	<p>वाणिज्यिक संरचना और अन्य अचल संपत्तियों का मूल्य सरकार द्वारा स्वीकृत एक तीसरे पक्ष के मूल्यांकन एजेंसी द्वारा निर्धारित किया जाएगा</p>
	<p>आवासीय ढांचों की हानि</p>		



	व्यावसायिक ढांचों की हानि	<p>संरचना के लिए बाजार मूल्य पर मुआवजा</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रभावित सामग्री को क्षति से बचाने का अधिकार</li> </ul>	या सरकार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड इंजीनियर।
आजीविका का नुकसान (आय)–स्थायी		<ul style="list-style-type: none"> <li>● स्थायी प्रभाव के लिए तीन महीने के लिए मासिक न्यूनतम मजदूरी के बराबर अनुदान भत्ता,</li> <li>● प्रभावित घर के एक वयस्क सदस्य, जिनकी आजीविका प्रभावित होती है, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए हकदार होगी।</li> <li>● यूएलबी से परामर्श कर PAP को वैंडिंग क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है।</li> </ul>	स्थायी प्रभाव के लिए तीन महीने के लिए मासिक न्यूनतम मजदूरी के बराबर अनुदान भत्ता।
आजीविका का नुकसान (आय) अस्थायी		<ul style="list-style-type: none"> <li>● निर्माण अवधि के दौरान आजीविका के अस्थायी रूप से विघटन के अस्थायी रूप से विघटन के लिए, विघटन भत्ता जो विघटन के महीनों की संख्या के बराबर भुगतान की जाती है एवं इसकी गणना अर्द्ध–कुशल मजदूरों की चालू मासिक न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य की जाती है</li> </ul>	केवल कृषि मजदूर, जो भू–स्वामी के पूर्णकालिक/स्थायी रोजगार में हैं या प्रभावित आर्थिक गतिविधियों के कारण आश्रित इस सहायता के लिए योग्य होंगे। यह निर्माणधीन अवधि के दौरान व्यवधान की वास्तविक अवधि के आधार पर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान अधिकतम तीन महीने तक उपलब्ध कराया जाएगा।
खड़ी फसल को नुकसान		<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रभावित किसान एक महीने का नोटिस।</li> <li>● तीन माह के लिए अर्द्ध–कुशल मजदूरों को उचित मासिक मजदूरी के बराबर मासिक निर्वाह भत्ता।</li> </ul>	प्रभावित होने से पहले भुगतान किया जाएगा।
कमजोर PAH		<ul style="list-style-type: none"> <li>● कमजोर PAH को अन्य सहायता से बढ़कर सहायता देना।</li> <li>● असुरक्षित पीएच के लिए 10,000 रु0 की एक बार की सहायता, जिनहें पुर्नस्थापित करना है।</li> </ul>	संयुक्त सतयापन के दौरान गैर–सरकारी संगठन के सहयोग से पीआईयू परियोजना प्रभावित व्यक्तियों कि संख्या की पहचान करेगा। पीएपी के साथ परामर्श कर



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• वेंडिंग क्षेत्र/पीएमएवाई आवास में पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान कमजोर PAHs को प्राथमिकता दी जाएगी</li> <li>• प्रभावित घर के एक व्यस्क सदस्य, जिनकी आजीविका प्रभावित होती है, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए हकदार होगी।</li> </ul>	एक प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जायेगा ताकि पीएपी कौशल के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जा सके।
सीपीआर	सीपीआर को प्रभावित करना जैसे कि पूजा का स्थान, सामुदायिक भवनों, स्कूल आदि।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पुनर्वास या पुनर्स्थापन, अगर संभव हो, या आसपास के क्षेत्र में ऐसी ही संरचना स्थापित करने के लिए प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा।</li> </ul>	पीआईयू यह सुनिश्चित करेगा कि मुआवजा ट्रस्टी, एसोसिएशन, संगठन या व्यक्ति को सुपुर्द किया जाय, जैसा भी मामला है।
कार्यान्वयन के दौरान आने वाले अप्रत्याशित प्रभावों को इस एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स के सिद्धांतों के अनुसार संबोधित किया जाएगा।			

## 5. सार्वजनिक परामर्श और प्रकटीकरण

17. प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के अतिरिक्त, जनवरी, मार्च और जून 2017 के दौरान सिलसिलेवार सार्वजनिक परामर्श आयोजित की गई। सार्वजनिक परामर्श फोकस समूह चर्चाओं, व्यक्तिगत साक्षात्कार, औरपचारिक और अनौपचारिक परामर्श के माध्यम से किया गया। परामर्श प्रक्रिया में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के कमजोर वर्ग भी शामिल किए गए थे। सार्वजनिक परामर्श से योजना और कार्यान्वयन चरण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में और परियोजना विवरणों के प्रकटीकरण में मदद करने में पीएपी और लाभार्थियों को मदद मिलेगी।

18. परियोजना नियोजन चरण और कार्यान्वयन में हितधारकों को शामिल किया गया था। परियोजना उप-परियोजना स्तर पर पीएपी की भागीदारी सुनिश्चित की। समुदाय की भागीदारी समुदाय के साथ बातचीत करने तक सीमित नहीं है बल्कि परियोजना कार्यों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी को भी अनावृत करना कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी की जाएगी।

### सारणी 6 :- सामुदायिक परामर्श का निष्कर्ष

दिनांक/स्थान/भागीदारों की सं०	विमर्श का सारांश	आम सहमती	षमन के उपाय-तकनीकी डिजाइन में सहायोग
स्थान- वार्ड सं०-04 खूँटी	प्रभावित लोगों में से ज्यादातर विक्रेता हैं और	जल आपूर्ति परियोजना उपलब्ध राइट ऑफ वे	डीपीआर परामर्शी को CoI और सम्पत्ति - रेखा



हरियाणा सरकार



<p>दिनांक- 15.02.2017 समय-11:30 am भागीदारों की सं0-29 पुरुष- 11 महिला-18</p>	<p>उनकी आय निर्माण गतिविधियों के दौरान बाधित हो जाएगी। श्री संजय सिंह, वार्ड पार्षद के अनुसार पीएपी को पानी की आपूर्ति उपलब्ध है लेकिन पानी की गुणवत्ता बहुत खराब है। इसके अलावा, आपूर्ति के समय में सुधार की आवश्यकता है। एक ही क्षेत्र में सभी महिला प्रतिभागियों के साथ एक फोकस ग्रुप चर्चा हुई थी। महिलाओं को पानी की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में आशंका थी। सभी प्रतिभागियों को बिलिंग प्रणाली के बारे में चिंता थी। उन्होंने सुझाव दिया कि गरीब परिवारों के लिए पानी के बिल पर रियायत होनी चाहिए।</p>	<p>(आरओडब्ल्यू) के भीतर है जिसके लिए कोई भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। अनधिकृत निवासी मुख्य रूप से विक्रेता हैं और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं को अस्थायी प्रभावों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। बिलिंग प्रणाली को सभी पीएपी के लिए अनावृत करना चाहिए।</p>	<p>को डिजाइन ड्राइंग में शामिल करने के लिए कहा गया ताकि जनगणना सर्वेक्षण को समझा और शुरू कर सकें। पीएफ के कौशल विकास के लिए प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। ईएमपी और एआरपी निविदा दस्तावेज का एक हिस्सा होगा।</p>
<p>स्थान- वार्ड सं0-03 खूँटी दिनांक-15.02.2017 समय-02:30 pm भागीदारों की सं0-21 पुरुष - 5 महिला-16</p>	<p>समुदाय के सदस्यों का मानना है कि बेहतर जल आपूर्ति सुविधाओं से जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। बिलिंग प्रणाली पर निर्णय सभी लोगों की वित्तीय-वर्गों पर विचार कर करना चाहिए। समुदाय के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि लंबे समय तक निर्माण अवधि के कारण परेशानी से बचने के लिए निर्माण की अपधि कम करने की आवश्यकता है।</p>	<p>समुदाय के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि निर्माण के चरण के दौरान पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए उचित उपचारात्मक उपायों को पहचाना और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।</p>	<p>पानी की आपूर्ति के दो साल के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। ईएसएमपी को निर्माण गतिविधि से पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। संवेदक द्वारा कार्यान्वयन के लिए ईसीएमपी को निविदा दस्तावेज में शामिल किया जाएगा।</p>
<p>स्थान- वार्ड सं0-07 खूँटी दिनांक-16.02.2017</p>	<p>इस बात की आशंका थी कि अपर्याप्त गुणवत्ता और पानी की मात्रा के</p>	<p>समुदाय के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि निर्माण के चरण के</p>	<p>पानी की आपूर्ति के दो साल के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।</p>



समय—12:30 pm भागीदारों की सं०—37 पुरुष—12 महिला—25	कारण घरेलू कनेक्शन की संख्या कम हो सकती है। महिलाओं के समुदाय के सदस्यों ने गर्मियों में पानी लाने में होने वाली कठिनाईओं के बारे में विवरण साझा किया। उन्हें लगा कि महिलाओं के लिए उचित रूप से कार्यान्वित जल आपूर्ति कनेक्शन बहुत उपयोगी होंगे।	दौरान पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए उचित उपायों की पहचान की जानी चाहिए और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।	निर्माण गतिविधि के कारण पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए ईएमपी तैयार किया गया है जिसे संवेदक द्वारा कार्यान्वयन के लिए निविदा दस्तावेज में शामिल किया जाएगा।
उपायुक्त कार्यालय सभागार दिनांक—09.10.2017 समय—11:30 am भागीदारों की सं०—50 पुरुष—22 महिला—28	इस जल आपूर्ति योजना से काफी उम्मीद थी और लोग चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके जल आपूर्ति शुरू कर दी जाए।	वार्ड सदस्य, पीएपी ने जोर देकर कहा कि हम पिछले दो सालों से इस परियोजना का इंतजार कर रहे हैं और यह अगले वर्ष में लागू कर दिया जाना चाहिए।	हमने सूचित किया कि यदि सब कुछ निर्धारित समयानुसार होता है तो अगले साल की पहली तिमाही तक निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
उपरोक्त विषिष्ट सार्वजनिक परामर्श और एफजीडी के अतिरिक्त, एसईएस और जनगणना सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया।			

19. कार्यान्वयन चरण के हिस्से के रूप में परामर्श कार्यान्वयन एजेंसी और समुदाय/लाभार्थियों और पीएपी के साथ संस्थाओं के प्रत्यक्ष संबंध होंगे। इनमें पीएपी का पुनर्स्थापन, उपभोक्ता सेवाओं, सुरक्षा और निर्माण के दौरान अस्थायी बाधा के लिए परामर्श शामिल होगा।

20. प्रगति के संबंध में आर एंड आर प्रावधानों के कार्यान्वयन के साथ-साथ, समुदाय/लाभार्थियों और/या प्रभावित व्यक्तियों को प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कार्यान्वयन चरण में शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से आर एंड आर पहलुओं के मामले में शिकायतों का निवारण भी शामिल है। ये आमतौर पर परियोजना के लिए स्थापित शिकायत निवारण समितियों के साथ समुदाय और/या पीएपी की आमने-सामने बैठक की जाएगी।

#### 5.1 सूचना का प्रकटीकरण

21. सूचना प्रसार की व्यवस्था, उदाहरण के लिए सामुदायिक परामर्श सत्र के बारे में सामग्री एवं ब्रीफिंग सामग्री सभी के लिए सुलभ होगी। कोई भी ब्रीफिंग सामग्री (सभी को स्थानीय भाषा में तैयार किया जाना) निम्न रूप में हो सकता है:

क) विवरणिका (परियोजना सूचना सहित, परियोजना लाभ, प्रतिकूल प्रभाव, मुआवजा सहित अधिकारियों का विवरण और पीएपी को दी जाने वाली सहायता), और शिकायत तंत्र पीआईयू और खूँटी नगर पालिका में रखा जाएगा।





ख) प्रमुख स्थानों पर पोस्टर प्रदर्शित किया जाना

ग) पुस्तिकाएँ जिसे उप-परियोजना प्रभावित क्षेत्र में वितरित किए जा सकते हैं।

22. पीएपी को निम्नलिखित से परिचित कराने के लिए परियोजना द्वारा नियमित अंतरालों पर परामर्श हेतु बैठकों का भी आयोजन किया जाना चाहिए:

क) समय-सीमा एवं परियोजना की प्रगति

ख) लाभ/प्रतिकूल प्रभावों पर जानकारी; मुआवजा और पात्रताएं

ग) परियोजना पूर्ण करने की समय-सीमा

23. प्रकटीकरण आवश्यकता के भाग के रूप में यह एआरएपी मसौदा, आरटीआई अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। एआरएपी मसौदा की स्वीकृति विष्व बैंक से मिलने के पश्चात् इस पर हितधारकों से प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों प्राप्त करने हेतु जुडको की वेबसाइट ([www.juidco.jharkhand.gov.in](http://www.juidco.jharkhand.gov.in)) के साथ-साथ खूँटी नगर पंचायत के वेबसाइट पर भी एक्सेस किया जा सकता है। टिप्पणियां, यदि कोई हो, को शामिल करने के पश्चात् संशोधित एआरएपी को फिर से अनावृत किया जाएगा।

**सारणी 7 : सूचना को अनावृत किया जाना, आवृत्ति एवं स्थान**

विषय	दस्तावेज जो अनावृत किया जाना है	आवृत्ति	स्थान
पुनर्स्थापन, पुर्नवास	ए आर ए पी	एक बार पूरे परियोजना चक्र में, लेकिन पूरी अवधि के दौरान वेबसाइट और अन्य प्रकटीकरण स्थानों पर बने रहने के लिए।	विष्व बैंक की वेबसाइट पर <ul style="list-style-type: none"> <li>• जुडको की वेबसाइट पर जुडको, विस्थापित लोगों और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक ऐसे बोली,,, तरीके और भाषा में एआरएपी को उपलब्ध कराएगा जो पीएपी के लिए निम्नलिखित कार्यालयों में समझा जा सकता है। <ul style="list-style-type: none"> <li>i) जिला दंडाधिकारी</li> <li>ii) जिला पुस्तकालय</li> <li>iii) स्थानीय नगरपालिका और</li> <li>iv) ग्राम पंचायत</li> </ul> </li> </ul>



सर्वसम्पन्न सरकार



			कार्यालय v) संवेदक षिविर vi) परियोजना कार्यालय
	स्थानीय भाषा में अनुवादित पुनर्स्थापननीति एवं एंटाइटलमेंट फ्रेमवर्क	पुरे परियोजना चक्र में एक बार	पी ए पी के बीच वितरित
	स्थानीय भाषा में प्रभावों और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी।	परियोजना की शुरुआत में एक बार	
स्थानीय भाषा में प्रभावों और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी।	एक बार परियोजना की शुरुआत में और जब जिस स्थिति में पीएपी द्वारा मांग करने पर।	पीएपी के साथ आमने-सामने संपर्क के माध्यम से; समुदाय परामर्श; आ ई ए कार्यालय और परियोजना की वेबसाइट में चिपकाए जाने वाले प्रभावों और अधिकारों के साथ पीएपी की सूची	
	आर एंड आर मासिक प्रगति प्रतिवेदन	प्रत्येक महने के दसवें दिन को	जुडको एवं संवेदक कार्यालय में स्थानीय भाषा में हार्ड कॉपी की प्रति।
	षिकायत निवारण प्रक्रिया	परियोजना चक्र के दौरान निरंतर प्रक्रिया	जुडको की वेबसाइट पर एक बोली, तरीके और भाषा में जो PAP द्वारा बोधगम्य हो एवं निम्नलिखित कार्यालय में उपलब्ध हो : i) जिला दंडाधिकारी ii) जिला पुस्तकालय iii) स्थानीय नगरपालिका iv) ग्राम पंचायत कार्यालय v) संवेदक षिविर vi) परियोजना कार्यालय
सार्वजनिक परामर्श	औपचारिक सार्वजनिक परामर्श बैठकों की कार्यवाही	बैठकों के दो सप्ताह के अन्दर	जुडको की वेबसाइट पर और निम्नलिखित कार्यालयों में: i) संवेदक षिविर ii) PIU कार्यालय



## 6. शिकायत निपटारा तंत्र



24. राज्य और यूएलबी स्तर पर जीआरसी (शिकायत निवारण कोषांग) की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य परियोजनाओं के पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं के बारे में प्रभावित समुदायों की चिंताओं, पुछताछ, और शिकायतों को प्राप्त करना और उन्हें हल करना है जिसे कार्यान्वयन के दौरान सामना किया जा सकता है और साथ ही साथ सामाजिक समन्वय और एकीकरण से संबंधित अन्य सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए उप-परियोजनाओं को लागू किया गया। जुडको के जी आर एम् सूचनाओं का सम्प्रेषण निम्नलिखित माध्यमों से जायेगा।

- सार्वजनिक स्थानों के लिए पत्रक का वितरण
- नोटिस बोर्ड(सूचना पट्ट )
- जुडको बोर्ड की वेबसाइट पर
- दूरसंचार उपकरण

25. उप-परियोजना निदेशक (जुडको, पीएमयू) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रत्येक उप-परियोजना की गतिविधियों से संबंधित सभी शिकायतों को संभालने के लिए प्रत्येक उप-परियोजना के लिए एक प्रभावी बहु-स्तरीय जीआरएम स्थापित हो। जीआरएम दूसरे स्तर पर कार्य करेगा: समुदाय स्तर पर, जहां इस मुद्दे को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा; और उप-परियोजना स्तर पर जहां एक जीआरसी की स्थापना की जाएगी जो राज्य स्तर पर एक अपील तंत्र के रूप में कार्य करेगा। उप-परियोजना स्तर पर जीआरसी का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा—

- यूएलबी/क्रियान्वयन एजेंसी से एक
- कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि (स्थानीय परियोजना क्षेत्र, प्राथमिकता : महिला)
- महिला समख्या/महिला मंडल जैसे महिलाओं के एक समुदाय आधारित समूह का प्रतिनिधि
- एक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से जाना जाता हो और स्थानीय लोगों द्वारा (परियोजना क्षेत्र में) उनकी ओर से बोलने के लिए (यूएलबी के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पहचाने जाने के लिए) हो।
- पीआईयू से सामुदायिक विकास पदाधिकारी
- चिकित्सा पदाधिकारी
- संबंधित विभाग जैसे पुलिस, परिवहन और श्रम के पदाधिकारी
- निकाय स्तर पर समुदाय समन्वयक या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के प्रतिनिधि

26. पीएपी को शिकायत के क्षेत्र स्पष्ट करना होगा। जीआरसी केवल निर्माण गतिविधियों से संबंधित शिकायतों पर ध्यान देगा जिसके कारण रख-रखाव अवधि के दौरान आजीविका या संपत्ति/उपभोक्ता सेवाओं की पहुंच में बाधा, श्रमिक समुदाय विवाद, निर्माण स्थल प्रबंधन और सेवा की गुणवत्ता के नुकसान को प्रभावित करने वाली हो। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को केवल



झारखण्ड सरकार



झारखण्ड के भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को केवल झारखंड के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत पेश किया जाएगा।

27. पीएपी (या उसके प्रतिनिधि) अपनी शिकायत या तो लिखित पत्र, फोन या जीआरसी को ई-मेल के माध्यम से कर सकते हैं या वैकल्पिक रूप से, परियोजना कर्मचारियों के साथ किसी सार्वजनिक या व्यक्तिगत बैठक में अपनी आवाज उठा सकते हैं। स्थानीय भाषा में एक बहुत ही सरल शिकायत फार्म शिकायतकर्ता द्वारा भरने के लिए प्रत्येक परियोजना स्थल पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा शिकायत बक्से को यूएलबी कार्यालय, पीआईयू कार्यालय और संवेदक शिविर/कार्यालय में रखा जाएगा। पीआईयू और खूँटी स्थित संवेदक कार्यालय में एक व्यक्ति को सभी शिकायतों (मौखिक या लिखित) को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार शिकायत पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा और शिकायतों को अभिलेखित कर उस पर कारवाई की जाएगी। अशिक्षित शिकायतकर्ताओं के मामले में शिकायत पदाधिकारी शिकायत फार्म को भरने में सहायता करेगा। एआरएपी कार्यान्वयन के लिए लगे गैर-सरकारी संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा कि सभी शिकायतें/सुझाव पीआईयू के प्रमुख विशेषकर पीएपी और स्थानीय समुदाय के संज्ञान में रहे। जीआरएम की प्रभावशीलता, निर्माण पर्यवेक्षण और गुणवत्ता परामर्शदाताओं (सीएसक्यूसी) को प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर पता लगाया जायेगा एवं एआरएपी का कार्यान्वयन एनजीओ द्वारा आसन कराया जायेगा।

28. राज्य स्तर पर पंजीकरण संबंधी शिकायतों/सुझावों हेतु संपर्क का पता निम्नवत है:

शिकायत निपटारा कोषांग

झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लि० (जुडको लि०)

तृतीय तल, प्रगति सदन, कचहरी चौक

राँची- 834001, झारखण्ड

फोन न०: 6512225878

ई - मेल: [grc.jmdp.juidco@gmail.com](mailto:grc.jmdp.juidco@gmail.com)

29. शिकायत की प्राप्ति के बाद जीआरसी द्वारा समुदाय स्तर पर मामले को हल करने के लिए मिलकर आम तौर पर 7-10 कार्य दिवसों के भीतर सिफारिश की जाएगी। यदि 10 दिनों के बाद कोई निर्णय नहीं होता है, तो पीएपी या कोई अनन्य पीड़ित व्यक्ति शिकायत को उप-परियोजना निदेशक (जुडको, वर्ल्ड बैंक पीएमयू) एक अपील समिति की अध्यक्षता करेंगे, जो 20 दिनों के भीतर शिकायत की जांच कर इसे बताएँगे। यह माना जाता है कि उनकी शिकायतों को इसकी जटिलता के कारण हल करने में अधिक समय लग सकता है, उदाहरण के लिए, भूमि विवाद से संबंधित ऐसे मामलों में, पीड़ित पक्ष को 20 दिनों के भीतर कारणों और अगली कार्रवाइयों के साथ देरी की संभावना को सूचित किया जाएगा। सभी प्रस्तुत शिकायतों को उप परियोजना स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा और जुडको-जेएमडीपी पीआईयू के एक डेटाबेस में जोड़ा जाएगा, जो नियत JUIDCO-JMDP कर्मियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। ऊपर बताए गए तरीकों के अलावा, पीएपी को देश की नयायपालिका के पास जाने का अधिकार है।



## 7. पुर्नस्थापन प्रभाव को संबोधित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

30. इस परियोजना के तहत उप-परियोजना के निष्पादन हेतु प्रबंधन, समन्वय एवं निगरानी के लिए राँची एवं निकाय स्तर पर समर्पित टीमों की स्थापना की जायेगी।

31. राज्य स्तर पर जुडको, राँची स्थित पीएमयू सामाजिक सुरक्षा उपायों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी होगा। पीएमयू प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित विकेन्द्रीकृत टीमों द्वारा निकाय में पीआईयू के रूप में समर्पित होगा जो संबंधित उप-परियोजनाओं के दिन-प्रतिदिन के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। परियोजना सभी संबंधित सुरक्षा उपायों के समन्वय, समीक्षा, समर्थन और निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंट्स (पीएमसी) और पीआईयू द्वारा सामाजिक और पर्यावरण विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा। पीएमयू विशेषज्ञों पीआईयू और नये कार्यान्वयन संस्थाओं में विशेषज्ञों की क्षमताओं को प्रशिक्षित और सुदृढ़ करेंगे। यह परियोजना एआरएपी के क्रियान्वयन के लिए योग्य नागरिक समाज संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को खूँटी जल आपूर्ति परियोजना के तहत अन्य सामाजिक गतिशीलता/आईईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त करेगा।

## 8. अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन व्यवस्थाएं

32. समवर्ती आंतरिक निगरानी पीआईयू कार्यान्वयन एजेंसियों, डिजाइन और पर्यवेक्षण परामर्षदाताओं द्वारा नियमित निगरानी के हिस्से के रूप में किया जाएगा। खूँटी पीआईयू एआरएपी कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करेंगे। पीआईयू एआरएपी कार्यान्वयन पर पीएमयू को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। पीएमयू इन-हाउस सामाजिक विशेषज्ञों की मदद से उप-परियोजनाओं की निगरानी के लिए सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेगा। पीएमयू आगे प्रतिवेदन विष्व बैंक को त्रैमासिक भेजेगा।

33. कार्यान्वयन के दौरान निकाय स्तर पर भाग लेने वाले विभागों एवं अन्य हिधारकों के साथ निगरानी के लिए सुरक्षा उपायों को अनुपालन करेगा। पीएमयू आगे प्रतिवेदन विष्व बैंक को त्रैमासिक भेजेगा। हितधारक परामर्ष कार्यषाला का आयोजन तीन महीने में एक बार किया जायेगा जिससे उप-परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके।

34. एक बार कार्यान्वयन शुरू हो जाने के बाद, एनजीओ/एआरएपी कार्यान्वयन परामर्षी प्रभावित लोगों के साथ मिलकर सभी आवश्यक जानकारी एकत्र कर उनका सत्यापन करेंगे और अधिकारों के वितरण की सुविधा प्रदान करेंगे। कार्यान्वयन चरण के दौरान डिजाइन समीक्षा निर्मित संवेदक प्रभाव के गलियारे में परिवर्तन के लिए कुछ डिजाइन परिवर्तन का प्रस्ताव कर सकता है। पीएपी सूची को अद्यतन करने और अतिरिक्त पीएपी के जनगणना सर्वेक्षण करने हेतु पीआईयू सामाजिक विशेषज्ञों एनजीओ और संवेदकों द्वारा पीएपी के संयुक्त सत्यापन की आवश्यकता होगी, यदि कोई हो।

35. निर्माण चरण के दौरान डिजाइन में किसी तरह के बदलावों के कारण इस उप-परियोजना पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है एवं उप-परियोजना को एस 2 से एस 1 श्रेणी में बदलाव को बाध्य करता है। इस तरह एक पूर्ण RAP तैयार किया जायेगा जिसे विष्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त कर ESMF के दिशा-निर्देश के अनुसार अनावृत किया जायेगा।



36. निर्माण कार्यों की शुरुआत से पहले सभी सहायता पीएपी को प्रदान की जाएंगी एवं प्रशिक्षण जैसे अन्य लाभ निर्माण गतिविधियों के समानांतर लागू किए जाएंगे।

**सारणी 8: संक्षिप्त पुनर्स्थापन कार्य योजना (ARAP) की क्रियान्वयन अनुसूची**

क्रमांक	क्रियाकलाप	मासिक																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
अ	प्रारंभिक																									
1.	गैर-सरकारी संस्थाओं / संक्षिप्त पुनर्स्थापन क्रियान्वयन अभिकरण को चुनना																									
	DRBO अनुबंध के देने से पहले परियोजना क्रियान्वयन इकाई पीआईयू का संचालन																									
	संक्षिप्त पुनर्स्थापन कार्य (ARAP) प्रतिवेदन और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का संग्रह और समीक्षा																									
2.	षिकायत निवारण कोषांग की स्थापना																									
3.	आविष्करण संवेक्षण और समुदाय, जिला एवं DRBC संवेदक के साथ तालमेल बैठाना																									
4.	संक्षिप्त पुनर्स्थापन कार्य योजना (ARAP) पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) के सामाजिक अधिकारी और संवेदक के कर्मचारी अभिविन्यास प्रशिक्षण																									
5.	परियोजना प्रभावित लोगों के पहचान और सत्यापन का रिपोर्ट परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) को प्रस्तुत करना																									

क्रमांक	क्रियाकलाप	मासिक																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6.	संक्षिप्त पुनर्स्थापन कार्य योजना (ARAP) को उदयतन करें और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा आवेद्यक समीक्षा और विष्व बैंक से स्वीकृति के लिए जमा करें एवं पुनः अनावृत करें।																									
आ	आईईसी और जागरुकता अभियान।																									
7.	परियोजना प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति तैयार और वितरण करना																									
8.	संक्षिप्त पुनर्स्थापन कार्य योजना (ARAP) पर जानकारी साझा करने के लिए जागरुकता अभियान का आयोजन करें।																									
9.	भागीदारी की प्रक्रिया के माध्यम से तालमेल बैठाना																									
10.	परियोजना कर्मचारियों, सेवेदकों और मजदूरों के साथ परामर्ष हेतु बैठक																									
11.	एसएसीओ के सहयोग से एचआईवी/एड्स पर जागरुकता के लिए संदेश प्रेषण सामग्री को																									
12.	एचआईवी/एड्स पर स्थानीय समुदायों एवं निर्माण में लगे श्रमिकों के लिए जागरुकता अभियान चलाना																									
इ	भूमि और भवन का मूल्यांकन																									
13.	संरचनाओं का मापन एवं मूल्यांकन (निजी/सामुदायिक आदि)																									

क्रमांक	क्रियाकलाप	मासिक																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	पात्रता-सह-पहचान पत्र के वितरण के लिए EP की फोटोग्राफी।																								
ई	सूक्ष्म योजनाएं और वितरण																								
15.	सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी(गैर-रैयती धारक)																								
16.	संवितरण के लिए संयुक्त रूप से बैंक खाते खलना																								
17.	पात्रता / क्षतिपूर्ति / सहायता का वितरण																								
18.	बाधा-मुक्त स्थल को सौपना																								
19.	स्वास्थ्य जागरूकता एवं जांच षिविरों का आयोजन करना																								
20.	संवेदक द्वारा नौकरियों और श्रम के अवसरों के बारे में जानकारी (लिंग विघटित) असुरक्षित परियोजना प्रभावित घरों को प्राथमिकता के साथ-अंतरिम रूप से																								
उ	पुनर्वास प्रक्रिया																								
21.	आजीविका विप्लेषण/परियोजना प्रभावित लोगों के लिए विकल्प																								
22.	प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान (प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण)																								
23.	बचत/स्वयं सहायता (एसएचजी) समूह का गठन																								
24.	सूक्ष्म योजनाओं के आधार पर व्यावसायिक, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण																								





क्रमांक	क्रियाकलाप	मासिक																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ऊ	समापन प्रक्रिया																									
25.	दूसरे माह से प्रारंभिक एवं मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26.	पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।																									

#### 10. R & R बजट

खूँटी जलापूर्ति परियोजना के लिए नीचे दी गई तालिका में एक विस्तृत संकेतक आर एंड आर लागत दिया गया है।

#### सारणी 9 : खूँटी जल आपूर्ति परियोजना के लिए मुआवजा और सहायता-

खूँटी जल आपूर्ति परियोजना के लिए मुआवजा और सहायता			
ढांचों की हानि (मकान, दुकान, भवन या अचल संपत्ति अथवा भूमि से जुड़ी संपत्ति)			
ढांचों का प्रकार(एन टी एच)	रु० (प्रति वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
अर्द्ध-स्थायी	8810.00	0.54	<b>4757.40</b>
अस्थायी	2628.00	0.48	<b>1280.64</b>
सब-टोटल (A)			<b>6038.04</b>
सहायता			
दुकान / व्यापार / व्यावसायिक ढांचों की हानि			
बाजार मूल्य के अनुसार ढांचों के लिए क्षतिपूर्ति		2	<b>6038.04</b>
DPs	5,000.00	2	<b>10,000.00</b>
एक महिना के लिए अनुदान भत्ता	7510.00	2	<b>15,020.00</b>
सब-टोटल(B)			<b>25,020.00</b>
अस्थायी प्रभाव			
एक महीना के लिए एक बार आजीविका के अस्थायी नुकसान के लिए सहायता	7510.00	35	<b>2,62,850.00</b>
सब-टोटल(C)			<b>2,62,850.00</b>
स्थायी प्रभाव के साथ असुरक्षित परिवार पर प्रभाव			
एक बार की सहायता (जिनको स्थानांतरित करना है)	10,000.00	1	<b>10,000.00</b>
सब-टोटल(D)			<b>10,000.00</b>



कार्यान्वयन सहायता			
ए आर ए पी क्रियान्वयन परामर्षी का अनुमानित पूलक	4,00,000.00		4,00,000.00
			4,00,000.00
सब-टोटल(D) 703908.04			
निर्माण के दौरान पड़ने वाले प्रभाव			
10% का आकस्मिक व्यय			
सब-टोटल(F)			70390.00
कुल योग (A + B+C+D+E+F)			7,74,298.84

\* कमजोर परिवार को अन्य लाभ के अलावा विशेष सहायता प्रदान करना।

कुल बजट 7,74,298.84 ₹0 ( अर्थात् मात्र 7.74 लाख रूपये) आता है।

ARAP को परियोजना प्रभावित लोगों (PAP) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना तथा परियोजना के सहजतापूर्वक क्रियान्वयन एवं PAP को समय-बद्ध तरीके से भविष्य में सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।



परिषिष्ट: परियोजना प्रभावित लोगों की सूची

क) अस्थायी

क्र0 सं0	वार्ड सं0	परियोजना प्रभावित लोगों का नाम	पिता का नाम
1	6	लक्ष्मी देवी	स्व0 राजेंदर कुमार
2	6	प्रियदर्शन राम	राकेश रंजन राम
3	6	प्रदुम्न प्रसाद	बंसिधन प्रसाद
4	6	षैलेन्द्र कुमार सिंह	तेजेश्वर ठाकुर
5	6	राहुल गोरदे	बिपुल गोरदे
6	6	हरीकृष्ण गोड्डु	बिहारीलाल गोड्डु
7	6	प्रवीर प्रसाद	रवि प्रसाद
8	6	किष्णुन दास	स्व0 मुझिधर दास
9	6	उत्तम भगत	भाऊ षंकर भगत
10	6	रवि साहू	किष्णु साहू
11	6	श्री कृष्ण सिन्हा	दीप नारायण सिन्हा
12	6	बिनोदानंद साहू	स्व0 पवन साहू
13	6	अनीता तेली	आनंद मोहन तेली
14	6	अभय प्रसाद	अखिल प्रसाद
15	6	अंकित षर्मा	अंजन प्रकाष षर्मा
16	6	रघुबीर लाल	प्रेम मोहन लाल
17	6	प्यार रंजन राम	रतन कुमार लाल

18	6	प्रानन प्रकाष	रवि शंकर प्रकाष
19	6	संतोष कुमार	षषि किरण कुमार
20	6	रतन बिहारी साहू	संभु गोपाल गोंडु
21	6	सिद्धार्थ गोंडु	मदन गोपाल झोंगु
22	6	नागेश कुमार	कुंज बिहारी कुमार
23	6	उपेन्द्र साव	भानु कुमार
24	6	राहुल कुमार	बसन कुमार
25	6	अमित प्रकाष	सूरज प्रकाष
26	6	जितेन्द्र साव	स्व0 कबीर साव
27	6	सुरेन महतो	उत्तम महतो
28	6	रघुराम साहू	प्रेम नारायण साहू
29	6	राजू शम्भू	मोतीलाल षम्भू
30	6	कमलेश्वर साव	लाटो साव
31	6	आनंद प्रेम प्रसाद	सुखी नारायण
32	6	सीता देवी	स्व0 राम ठाकुर
33	6	मुहम्मद शाहिद अंसारी	मुहम्मद माखुर अंसारी
34	6	प्रदीप साव	बिलाष साव
35	6	अरुण राम	अयोध्या राम

ख) गैर-रैयत धारकों की संरचनाओं का विवरण जो प्रभावित होंगे:

क्र0 सं0	व्यक्ति का नाम	वार्ड सं0	प्रभावित ढांचा	प्रभावित लोग
1	परदेशी मुंडा	9		
2	गोबर्धन लोहरा	10	